संख्या-30/2026/239/छप्पन-2026/56-1009(003)/1/2022

प्रेषक,

ईशान प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2026

विषय: कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को नये क्रय किये जा रहे हेलीकाप्टर अगुस्ता AW 139 की फैसिलिटी M/s Leonardo Helicopter Italy से दिनांक 13 अगस्त, 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) तक कराये जाने हेतु यात्रा व्यय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-394/ना0उ0नि0/लेखा/2025-26 दिनांक 23 फरवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्याः 72/2025/1070/छप्पन-2025 दिनांक 11 अगस्त, 2025 एवं शासनादेश संख्याः 70/2025/1073/छप्पन-2025 दिनांक 04 अगस्त 2025 द्वारा कै० अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को नये क्रय किये जा रहे हेलीकाप्टर अगुस्ता AW 139 की फैसिलिटी M/s Leonardo Helicopter Italy से दिनांक 13 अगस्त, 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक इन्स्टूमेंन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस, को सम्मिलित करते हुए) कराए जाने के निमित्त विदेश यात्रा भत्ता में होने वाले अनुषांगिक व्यय (वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में) हेतु रू0 17,61,150/- रूपए सत्रह लाख इकसठ हजार एक सौ पचास मात्र) के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्याः 38 के लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय की मानक मद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत प्रदान करने की सूचना दी गई है। कै० अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) के द्वारा प्रस्तुत उक्त यात्रा बिल के परीक्षणोपरान्त रू0 19,12,639.00 होता है। इस पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को अग्रिम रू0 17,61,150/- (रूपए सत्रह लाख इकसठ हजार एक सौ पचास मात्र) भुगतान की गई धनराशि को समायोजन करने के पश्चात (रू0 19,12,639.00-17,61,150.00) = अतिरिक्त रू0 1,51,489.00 (रू० एक लाख इक्यावन हजार चार सौ नबासी मात्र) का भुगतान कै० अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को किये जाने हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में कै० अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) के द्वारा प्रस्तुत उक्त यात्रा बिल के परीक्षणोपरान्त रू0 19,12,639.00 पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को अग्रिम रू0 17,61,150/- (रूपए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सत्रह लाख इकसठ हजार एक सौ पचास मात्र) भुगतान की गई धनराशि को समायोजन करने के पश्चात (रू0 19,12,639.00-17,61,150.00) = रू0 1,51,489.00 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च , 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

6- उक्त प्रशिक्षण का परिणाम/प्रशिक्षण के उपरान्त लाइसेन्स पर पृष्ठांकनोपरान्त लाइसेन्स की प्रति और अन्य सम्बन्धित अभिलेख पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित करने/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव

संख्या-30/2026/239(1)/छप्पन-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7- सम्बन्धित पायलट।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।